अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी / ए–3 / 2015 / दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक
एवं
औषधि नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का दुरूपयोग रोकने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि पिछले दिनों जयपुर एवं जोधपुर में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 1 एमएल के साथ–साथ 100 एम.एल. पी0वी0सी0 वाईल में बिना लेबल के पकडे गये। यह बात सभी भली भांति जानते हैं कि अधिकांश पशुपालक दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिये इस इंजेक्शन का दुरूपयोग करते हैं। पशुपालक और दुधारू पशु सभी जिलों में हैं परन्तु किसी भी जिले से इसके दुरूपयोग करने की सूचना संगठन को प्राप्त नहीं हुई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी इस औषधि के दुरूपयोग की रोकथाम के लिये आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं।

अतः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में स्थित पशु औषधियों का व्यापार करने वाले एवं पशु आहार विक्रय का व्यापार करने वाले एवं जहां पशु मेला आयोजित किया जाता है वहां दुकानों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का दुरूपयोग नहीं हो रहा है। अनाधिकृत स्टॉक मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही करें एवं अपने कार्यक्षेत्र में इस औषधि का उपयोग नहीं होने की स्थिति में यह प्रमाण पत्र मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ अलग से संलग्न करें कि उनके कार्यक्षेत्र में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का दुरूपयोग दुधारू पशुओं के दूध निकालने में नहीं हो रहा है।

ह0
(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी / ए–3 / 2015 / 457
दिनांक : 18/8/15

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय site पर प्रदर्शित करें एवं उक्त सभी को mail भी करें।

(अजय कुमार जैन)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Pradeep JI\Letter.doc